भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2663

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

बंद पड़े कोयला खानों को पुनः खोलना

2663. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर के अन्य कोयला समृद्ध क्षेत्रों की तुलना में विशेषकर राजस्थान में कोयला उत्पादन में वृद्धि को बनाए रखने के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही रणनीतियों का ब्यौरा क्या है और ये रणनीतियाँ आत्मनिर्भरता और कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ किस प्रकार ताल-मेल रखती हैं;

(ख) क्या मंत्रालय की राजस्व-साझेदारी मॉडल के अंतर्गत बंद पड़ी कोयला खानों को पुनः खोलने और विशेषकर राजस्थान में कोयला उत्पादन में वृद्धि करने और आर्थिक विकास में योगदान देने की योजना/प्रस्ताव है जो स्थानीय रोजगार और राजस्व सृजन को बढ़ावा देता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राजस्व-साझेदारी के आधार पर वाणिज्यिक खनन शुरू किए जाने का ब्यौरा क्या है और देश भर में कोयला उत्पादन में वृद्धि के संदर्भ में इसके विशिष्ट परिणाम क्या रहे हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय कोयला खनन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों सहित निजी कंपनियों की अधिक भागीदारी का समर्थन करने के लिए सुधारों पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : राजस्थान राज्य में अभी तक कोई भी कोयला भंडार रिपोर्ट नहीं हुआ है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का फोकस कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने तथा देश में कोयले के अनावश्यक आयात को समाप्त करने पर है। देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन और आपूर्ति के माध्यम से पूरी की जाती है। कोयले के उत्पादन में वृद्धि को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं-

i. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii. कैप्टिव खान स्वामियों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को ऐसी अतिरिक्त राशि के भुगतान पर केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित तरीके से खान से संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक बेचने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 [एमएमडीआर अधिनियम] का अधिनियमन।

iii. कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र हेतु सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल।

iv. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/निकासी प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आबंटितियों की सहायता हेतु परियोजना निगरानी इकाई।

v. राजस्व शेयरिंग के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई। वाणिज्यिक खनन स्कीम के अंतर्गत उत्पादन की निर्धारित तारीख से पूर्व उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) भी दिए गए हैं।

vi. कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होने, बोली प्रक्रिया में नई कंपनियों को भाग लेने की अनुमति देने, अग्रिम राशि को कम करने, मासिक भुगतान हेतु अग्रिम राशि के समायोजन, कोयला खानों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए लचीलापन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता मापदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल के साथ वाणिज्यिक कोयला खनन की निबंधन एवं शर्तें बहुत उदार हैं।

उपर्युक्त के अलावा, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं -

i. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। सीआईएल अपनी भूमिगत (यूजी) खानों में, जहां भी व्यवहार्य हो, मुख्यतः सतत खनिकों (सीएम) के साथ व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियां (एमपीटी) अपना रही है। सीआईएल ने परित्यक्त/रद्द कर दी गई खान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हाईवॉल (एचडब्ल्यू) खानों की भी योजना बनाई है। सीआईएल, जहां भी व्यवहार्य हो, बड़ी क्षमता वाली यूजी खानों की भी योजना बना रही है। सीआईएल की अपनी ओपनकास्ट (ओसी) खानों में पहले से ही उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटरों, डम्परों और सतही खनिकों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है।

ii. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा नई परियोजनाओं की स्थापना और मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए नियमित संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट्स (सीएचपी), क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे-बिन्स आदि जैसी अवसंरचना विकसित करने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

(ख) : कोयला मंत्रालय ने राजस्व शेयरिंग मॉडल के अंतर्गत अंतर्निहित संभाव्यता को पहचानते हुए बंद/रद्द कर दी गई खानों को पुन खोलने के लिए कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य देश के कोयला संसाधनों के उपयोग को इष्टतम करना है, जबकि यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा और लाभप्रदता बनी रहे। इससे घरेलू कोयले की उपलब्धता में वृद्धि होगी और मौजूदा कोयला संसाधनों का कुशल उपयोग होगा। राजस्व शेयरिंग मॉडल के तहत कुल 34 परित्यक्त खानों की पेशकश की गई है, जिनमें से 24 खानें सौंपी जा चुकी हैं। चिह्नित खानों में से कोई भी खान राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है।

(ग) : राजस्व शेयरिंग के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी 18.06.2020 को शुरू की गई थी। वर्ष 2020- 2021 में 716.083 मि.ट. की तुलना में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन लगभग 39.35% की वृद्धि के साथ वर्ष 2023-2024 में 997.826 मि.ट. रहा।

(घ) : कोयला खनन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों सहित निजी कंपनियों की व्यापक भागीदारी की अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधार उपाय निम्नानुसार हैं-

i. समय-समय पर यथा संशोधित कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (सीएमएसपी अधिनियम) और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) तथा इस विषय पर अन्य संबंधित अधिनियमों के अध्यधीन संबद्ध प्रसंस्करण अवसंरचना सहित कोयले की बिक्री, कोयला खनन गतिविधियों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

ii. सीएमएसपी अधिनियम की व्यापक समीक्षा की गई और इसके परिणामस्वरूप, खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से अधिनियम में कई संशोधन लाए गए, जिसे निम्नलिखित को सक्षम करने के लिए 13.03.2020 को अधिनियमित किया गया था:

   क. संयुक्त पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टे के लिए कोयला ब्लॉकों का आबंटन, जिससे आबंटन के लिए कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों की इंवेंटरी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

   ख. सीएमएसपी अधिनियम के तहत अनुसूची II और III कोयला खानों के अंत्य उपयोग का निर्णय लेने में केंद्र सरकार को लचीलापन प्रदान किया गया।

ग. जिन कंपनियों के पास भारत में कोयला खनन का कोई पूर्व अनुभव नहीं है, वे अब कोयला ब्लॉकों की नीलामी में भाग ले सकती हैं।

iii. सीएमएसपी अधिनियम और एमएमडीआर अधिनियम के तहत राजस्व शेयरिंग आधार पर कोयला/लिग्नाइट की बिक्री के लिए कोयला और लिग्नाइट खानों की नीलामी की कार्यप्रणाली 28.05.2020 को जारी की गई थी। बाद में इसे दिनांक 24.11.2021 और 31.10.2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था। कार्यप्रणाली की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. राजस्व शेयरिंग तंत्र के आधार पर 4% न्यूनतम प्रतिशत।

ख. पूर्णतः अन्वेषित तथा आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला ब्लॉकों के लिए लागू।

ग. अग्रिम राशि अनुमानित भूगर्भीय भंडारों के मूल्य पर आधारित होती है।

घ. सफल बोलीदाता उद्धृत राजस्व शेयर, कोयले की कुल मात्रा और अनुमानित अथवा वास्तविक मूल्य, जो भी अधिक हो, के आधार पर मासिक राजस्व शेयर का भुगतान करेगा।

ङ. कोयले के शीघ्र उत्पादन, गैसीकरण और द्रवीकरण के लिए प्रोत्साहन।

च. कोल बेड मीथेन के दोहन की अनुमति है।

छ. कोयले की बिक्री और/अथवा उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं। कोयला उत्पादन हेतु निर्धारित समयावधि में अधिक लचीलापन।

कोयला ब्लॉक नीलामियों में निजी कंपनियों की व्यापक भागीदारी की अनुमति देने के लिए अग्रिम भुगतान की राशि कम करना, रॉयल्टी हेतु अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए लचीलापन लाने के लिए उदार दक्षता मानदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया तथा वित्तीय संस्थाओं से वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति सृजन की अनुमति देना कुछ अन्य उपायों में शामिल हैं।

****